यालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 53

प्रकरण संख्या 24 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री लोगर रावत बनाम राज्य सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–13.08.2022

1. प्रार्थी श्री लोगर पिता दला रावत व बाबरी पत्नी लोगर निवासी पीपलवास द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का तहसीलदार कानोड़ के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि मौजा पीपलवास पटवार मण्डल आकोला जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 866, 867, 868 कुल रकबा 1.3200 हैक्टर में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार रिकार्ड से पूर्व राजस्व रिकार्ड की स्थिति में खाता संख्या 120 खसरा नम्बर 376 / 336, 384 / 336 में राजस्व रिकार्ड में खातेदार लोगर पिता दला रावत व बाबरी पत्नी लोगर निवासी पीपलवास के नाम दर्ज था। जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण तहसीलदार कानोड़ द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट मय अनुषंशा पेश की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है कि बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रिकार्ड में मौजा पीपलवास पटवार मण्डल आकोला जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 120 आराजी नम्बर 376 / 336, 384 / 336 रकबा 1–00 बीघा, 5 बीघा भूमि लोगर पिता दला रावत व`बाबरी पत्नी लोगर निवासी पीपलवास के नाम दर्ज है।
3. नवीन सेटलमेंट जमाबन्दी रिकार्ड संवत् 2078 से स्थायी में खाता संख्या 01 खसरा नम्बर 867, 868 कुल रकबा 1.0100 हैक्टर , 0.300 हैक्टर एवं 867, 868 पर क्रमशः 1.01 हैक्टर, 0.30 हैक्टर नवीन खाता बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। एवं पुराने नक्शे से तरमीम नही होने के कारण मौके पर कब्जा है एवं कुंआ खोदा हुआ है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार ... काबिज है तथा काश्त कर रहा है।
4. अतः राजस्व रिकार्ड एवं नामान्तरण के अवलोकन के पश्चात आराजी नं. 866, 867, 868 भूमि प्रार्थी के नाम पर शुद्धी की अनुशंषा की जाती है।
5. हमने प्रकरण में उभय पक्ष की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपति नहीं जताई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirv
Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर,जिला–उदयपुर(राज.)

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ की रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में बंदोबस्त से पूर्व ग्राम पीपलवास पटवार मण्डल आकोला की जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता संख्या 120 खसरा संख्या 376/336, 384/336 रकबा क्रमशः1.00 बीघा व 5.00 बीघा खातेदार लोगर पिता दला रावत व बाबरी पत्नी लोगर के नाम दर्ज थी जो बंदोबस्त पश्चात जमाबंदी सवत् 2078 में खसरा नम्बर 866, 867, 868 बने जो सेटलमेंट की त्रुटि से बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हो गई जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया।

7. पत्रावली के अध्ययन से हमने यह पाया कि पुराने नक्शे में तरमीम नहीं होने से बंदोबस्त पश्चात त्रुटि से प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि बिलानाम दर्ज हो गई थी जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार कानोड़ की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–::आदेश::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पीपलवास पटवार क्षेत्र आकोला तहसील कानोड़ जिला उदयपुर की खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 866, 867, 868 किता 3 रकबा 1.3200 हैक्टर भूमि में दर्ज नाम बिलानाम गैर काबिल काश्त से संशोधित की जाकर खातेदार लोगर पिता दला रावत 13/22 व बाबरी बाई पत्नी लोगर रावत 54/132 सा.दर्ज की जाकर कब्जे अनुसार ही तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में पालना हेतु तहसीलदार कानोड़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 13.08.2022 को खुल ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला–उदयपुर (राज.))

13/8/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)